


1
आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कारवाई
के बाद में
टिप्पणी तारीख
के साथ

आवेदक श्री जय किशन सिंह, पिता-स्व० रजन सिंह, ग्राम-महुदी, पो०-नोवामुण्डी, थाना-नोवामुण्डी, जिला-प० सिंहभूम, चाईबासा ने आवेदन देकर अनुरोध किया है कि मौजा-महुदी, थाना संख्या-744, खाता नं०-91, प्लॉट संख्या-4894, रकवा 0.23ए० भूमि का जिसका लगान रसीद वर्ष 2019-20 का ऑफलाईन लगान भुगतान किया गया है परन्तु ऑनलाईन पंजी-II में दर्ज नहीं है।


संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से इस संबंध में प्रतिवेदन की मांग करें।



अंचल अधिकारी,
नोवामुण्डी।

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि हाल सर्वे खतियान में मौजा-महुदी, थाना संख्या-744, खाता नं०-91, प्लॉट संख्या-4894, रकवा 0.23ए० भूमि घासिराम गौड़, पिता-सुकन गौड़ इत्यादि के नाम पर दर्ज है। नामांतरण वाद संख्या-114/72-73 के द्वारा मौजा-महुदी, थाना संख्या-744, खाता नं०-91, प्लॉट संख्या-4894, रकवा 0.23ए० भूमि में श्री जय किशन सिंह, पिता-स्व० रजन सिंह के नाम पर मौजुदा जमाबंदी के भाग संख्या-1 पृष्ठ संख्या 65 में दर्ज है। किन्तु ऑनलाईन पंजी-II में दर्ज करने के पश्चात ही लगान भुगतान किया जा सकता है।

अतः आदेश दिया जाता है कि मौजा-महुदी, थाना संख्या-744, खाता नं०-91, प्लॉट संख्या-4894, रकवा 0.23ए० में जय किशन सिंह के नाम पर ऑनलाईन पंजी-II के भाग संख्या-...7...., पृष्ठ संख्या-...3.8.... में दर्ज करें। संबंधित मामला को e-court के माध्यम से निष्पादित करें।

लेखापित एवं संशोधित


अंचल अधिकारी,
नोवामुण्डी।


अंचल अधिकारी,
नोवामुण्डी।